प्रथम अध्यादेश के अध्याय 10 को प्रतिस्थापित करते हुए
(विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 2.5(XIV), अनुच्छेद 32.2(क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश 2016)

1. प्रारम्भिक

(1.1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुपालन में शोध उपाधि कार्यक्रम के संचालन हेतु यह अध्यादेश है।

(1.2) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा अपनायी गयी शोध नीति के अनुसार होंगे।

2. शोध परिषद (Research Council)

(2.1) विश्वविद्यालय की एक शोध परिषद होगी जो विद्या परिषद के सम्पूर्ण मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शोध कार्यक्रमों के नियोजन, प्रबंधन, संगठन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

(2.2) शोध परिषद अधिनियम, परिनियमों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0)/पीएच0डी0 उपाधि) प्रदान करने के न्यूनतम मानदण्ड विनियम, 2016 के उपबंधों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुसंगत दिशानिर्देशो के अधीन रहते हुए निम्न कार्यों का सम्पादन करेगी–

(2.2.1) शोध नीति का प्रबंधन एवं प्रशासन, कार्यक्रम परिकल्पना, मूल्यांकन एवं शोध उपाधियां प्रदान करना।

(2.2.2) पंजीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विनिर्मित करना, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम परिकल्पना, मूल्यांकन एवं शोध उपाधियां प्रदान करना।

(2.2.3) मूल्यांकन के लिए शोध मानकों का निर्धारण करना।

(2.2.4) विद्या शाखा के बोर्ड के लिए सुसंगत शोध क्षेत्र के मानदण्ड/संक्षिप्त लेख/विषयों का अवधारण।

(2.2.5) शोध प्राथमिकताओं एवं शोध के लिए साधन आवंटन करने के लिए परामर्श देना।

(2.2.6) विश्वविद्यालय के शोध प्रयासों पर समेकित रिपोर्ट तैयार करना।

(2.2.7) शोध विकास एवं समन्वय से संबंधित कोई अन्य कार्य।

(2.3) शोध परिषद का गठन निम्न प्रकार होगा–

(2.3.1) कुलपति शोध परिषद का अध्यक्ष होगा।

(2.3.2) दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, कुलपति द्वारा नामित किए जायेंगे।

(2.3.3) समस्त विद्याशाखाओं के निदेशक इसके सदस्य होंगे।

(2.3.4) कुलपति द्वारा नामित योजना बोर्ड एवं विद्या परिषद का एक–एक प्रतिनिधि।

(2.3.5) निदेशक शोध, शोध परिषद का सदस्य सचिव होगा।

(2.4) सदस्यों का कार्यकाल नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

(2.5) शोध परिषद की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

3. एम0फिल में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडः

(3.1) एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष संविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक सस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

(3.2) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) से सबंद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनाकं 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अकों तक अर्थात् अकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहा बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अकों की छूट केवल अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं हैं।

4. **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम :**

इन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अध्याधीन, निम्नवत व्यक्ति पीएच0डी0 पाठय्क्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं:

(4.1) उपरोक्त प्रस्तर 3 के अन्तर्गत विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक।

(4.2) एम0फिल0 पाठय्क्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम0फिल0 उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिदुं मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच0डी0 उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग जो(गैर लाभान्वित श्रेणी)(Non-Creamy Layer)/पृथक रुपसे निशक्त से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों कें अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

(4.3) कोई व्यक्ति जिसके एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखित साक्षात्कार लंबित है, उसे उसी संस्थान के पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है ;

(4.4) अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम0फिल0 उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

5. **पाठ्यक्रम की अवधि :**

(5.1) एम0फिल0 पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

(5.2) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

(5.3) महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें एम0फिल0 में एक वर्ष की तथा पीएच0डी0 के लिए अधिकतम दो वर्ष की

छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम0फिल0/पीएच0डी0 की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(5.4) विशेष परिस्थितियों में समुचित कारण होने पर इसे कुलपति एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है।

6. प्रवेश हेतु प्रकियाः

(6.1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम फिल0/ पीएच0 डी0 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी–सीएसआईआर नेट(जेआरएफ सहित)/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक प्रवेशार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। नेट/स्लेट/गेट उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

(6.2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के उप–खण्ड 1.2 में संदर्भित उच्च शैक्षिक संस्थान जिन्हें एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है, वे–

(एक) वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में एम0फिल0 और /अथवा पीएच0डी0 शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा शोधार्थी–शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

(दो) दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संबंधित जानकारी संस्थागत वेब साइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी की जायेगी जिनमें से एक (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में होगा।

(तीन) राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6.3) दाखिले, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हएु समय–समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किये जाएंगे।

(6.4) विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देगा–

(6.4.1) प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के

प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक संस्थान/महाविद्यालय को दी जानी चाहिए) में होगी।

(6.4.2) अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि/क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार किया जाएगा। यह साक्षात्कार तीन बिन्दुओं– 1. अवधारणा–पत्र लेखन (15 अंक), 2. शोध अभिरूचि संबंधी प्रस्तुतीकरण (15 अंक), एवं मौखिक साक्षात्कार (20 अंक), पर आधारित होगा।

(6.5) साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्याः

(एक) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।

(दो) प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(तीन) प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

(6.6) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

7. पंजीकरण

(7.1) अभ्यर्थी जिन्हें पंजीकृत किया गया है, पंजीकरण की तिथि के तीन मास के भीतर विहित पंजीकरण शुल्क जमा करेंगे। शुल्क जमा न होने पर पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

(7.2) निम्न कारणों से छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है–

(एक) शुल्क का भुगतान न करने पर।

(दो) असंतोषजनक प्रगति।

(तीन) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।

(चार) विहित समय सीमा के भीतर डिसर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत न करने पर।

(7.3) शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुनर्पंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुनर्पंजीकरण के लिए आवेदन यदि छात्र के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

(7.4) कार्यक्रम शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क एवं कोई अन्य शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित की जाय सम्मिलित होंगे और सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित होंगे।

8. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण

शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण: शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि।

(8.1) विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रो/ विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

(8.2) विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के उसी विभाग/अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध उपाधि समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(8.3) किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(8.4) ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, तथा जहां संबंधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

(8.5) किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में तीन (03) एम0फिल0 तथा आठ (08) पीएच0डी0 शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम दो (02) एम0फिल0 तथा छह (06) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक(01) एम0फिल0 और चार(04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

(8.6) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्तें कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

9. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य

श्रेय अपेक्षाएं, सख्या, अवधि, पाठय् विवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

(9.1) एम0फिल0 और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिये जाएंगे।

(9.2) पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को एम0फिल0/पीएच0डी0 की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए तैयार करेंगे।

(9.3) एम0फिल0 और पीएच0डी0 के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

(9.4) ऐसे विभाग जहां शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखते है, वे शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम(ों) को विहित करेंगे।

(9.5) एम0फिल0 तथा पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(9.6) पहले ही एम0फिल0 उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम0फिल0 में पाठ्यक्रम

संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच0डी0 समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

(9.7) किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 50% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा शोध प्रबंध/थीसिस जमा कर सके।

10. शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्य:

विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश में यथा परिभाषित, प्रत्येक एम0फिल0 और पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee)होगी। शोधार्थी का पर्यवेक्षक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे–

(10.1) शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

(10.2) शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम(ों) की पहचान कराना।

(10.3) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(10.4) शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा।

(10.5) शोध सलाहकार समिति द्वारा छःमासिक प्रगति रिपोर्ट शोध उपाधि समिति को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर शोध उपाधि समिति को इसकी सिफारिश कर सकती है।

शोध सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नवत होगा–

- शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक – समन्वयकर्ता
- सम्बन्धित विभाग के प्राध्यापक,सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक जो शोध निर्देशन हेतु अर्ह हों– सदस्य

11. **शोध उपाधि समिति** (Research Degree Committee)

विश्वविद्यालय के एम0फिल0 और पीएच0डी0 कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ एक शोध उपाधि समिति होगी। इस समिति के निम्न उत्तरदायित्व होंगे–

(11.1) शोधार्थी के शोध शीर्षक का निर्धारण व अनुमोदन करना।

(11.2) शोधार्थी शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शोध रूपरेखा के संबंध में एक प्रस्तुति देगा तथा समिति से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(11.3) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(11.4) शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिये सिफारिश करना।

शोध उपाधि समिति का गठन निम्नवत होगा–

- कुलपति अथवा उनके नामित – अध्यक्ष
- सम्बन्धित विद्याशाखा का निदेशक– सदस्य
- सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/शोध पर्यवेक्षक– संयोजक
- कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ– जिसमें एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सदस्य
- सम्बन्धित विद्याशाखा के प्राध्यापक – सदस्य
- निदेशक शोध– सदस्य

12. **उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि**

(12.1) एम0फिल0. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाए 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

(12.2) पाठयक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 9.7 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के आधार पर विश्वविद्यालय में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

(12.3) शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल करेगा।

(12.4) मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम0फिल0 शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच0डी0 शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/ संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(12.5) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय) सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(12.6) किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में नियोजित नहीं हों। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

(12.7) शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच0डी0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में नियोजित न हों। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाएगी। इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग व संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

(12.8) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षक(ों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के

लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम0फिल0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(12.9) विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम0फिल0 शोध प्रबंध/पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

13. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0/एम0फिल0 उपाधि का संचालन

अंशकालिक आधार पर पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच0डी0 विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

14. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रदान की गयीं एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधियॉ अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां

(14.1) ऐसे अभ्यर्थी जो एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए जुलाई, 11 2009 को अथवा उसके पश्चात्, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, इन यूजीसी (एम0फिल/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(14.2) यदि विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की जाती है तो ऐसी उपाधि पर विचार करने हेतु भारतीय संस्थान उस मामले को अवार्ड की गई उपाधि की समुतल्यता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उस मामले को संबंधित संस्थान द्वारा गठित स्थायी समिति को भेजेगा।

15. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

(15.1) एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु सफलतापर्वूक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा एम0फिल0 /पीएच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय एम0फिल0 /पीएच0डी0 शोध प्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

(15.2) उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

16. एम. फिल./डी. फिल. (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करनाः

(16.1) शोध परिषद की अनुशंसाएं विद्यापरिषद को भेजी जायेंगी।

(16.2) छात्र को एम.फिल./डी.फिल. (पीएच.डी.) की उपाधि विद्यापरिषद् के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।